राजस्थान राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1961

(1961 का अधिनियम संख्यांक 25)

(16/10/1961)

राजस्थान राज्य में उद्योगों को राज्य सरकार द्वारा सहायता देने को विनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बारहवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम को राजस्थान राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1961 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य तक होगा।

(3) यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ.- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(1) "कंपनी" का तात्पर्य ऐसी कम्पनी जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 1956 का 1) के तहत निगमित कंपनी हो, और

(2) "उद्योग" का अर्थ किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया या संचालित कोई भी औद्योगिक व्यवसाय या उद्यम है और [1](इसमें एक सहकारी समिति के साथ-साथ एक संघ या उद्योग संघ भी शामिल है।)

3. उद्योगों को सहायता.- इस अधिनियम के प्रावधानों के अलावा राज्य सरकार द्वारा किसी भी उद्योग को कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

4. उद्योगों को सहायता प्रदान किया जाना.- (1) वह उद्योग जिसको इस अधिनियम के तहत सहायता दी जाएगी वह ऐसा होगा जिसका राज्य के आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो और ऐसा उद्योग जो कि-

(क) एक नया या उभरता हुआ उद्योग हो, या

(ख) उन क्षेत्रों में नए सिरे से शुरू किया जाने वाला उद्योग जहां ऐसा उद्योग अविकसित या अल्पविकसित हो, या

(ग) कोई कुटीर या ग्रामीण उद्योग या लघु उद्योग हो, या

---

[1] राजस्थान राजपत्र, असाधारण पार्ट iv-A दिनांक 01.05.1969 द्वारा राजस्थान अधिनियम संख्या 10 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया।

(घ) एक पुराना या स्थापित उद्योग।

परन्तु किसी कंपनी को इस अधिनियम के अन्तर्गत सहायता तभी दी जायेगी जब वह भारत में पुराने या स्थापित उद्योग को इस अधिनियम के अन्तर्गत सहायता तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक सरकार को यह समाधान नही हो जाता कि ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

परन्तु किसी कंपनी को इस अधिनियम के अन्तर्गत सहायता तभी दी जायेगी जब वहः

(i) वह भारत में रुपये पूंजी पर पंजीकृत हो,

(ii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुरूप हो, और

(iii) उसके बोर्ड या प्रबंधन में, इतनी संख्या में भारतीय नागरिक व निर्देशक हो जिसे की राज्य सरकार निर्दिष्ट कर सकती है।

स्पष्टीकरणः

(i) "कुटीर उद्योग" का अर्थ किसी भी परिसर में चलाया जाने वाला ऐसा उद्योग है, जिस पर फैक्ट्री अधिनियम 1948 लागू नहीं होता है और इसमें डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन और पोल्ट्री फार्म रखना शामिल है।

(ii) "लघु उद्योग" का अर्थ है-

[2]((क) ऐसा उद्योग जिसकी पूंजी निवेश 7.5 लाख रुपये या संयंत्र व मशीनरी में निवेश की ऐसी राशि से अधिक ना हो जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, या

(ख) ऐसा उद्योग जिसमें पूंजी निवेश 10 लाख रुपये से अधिक ना है या संयंत्र और मशीनरी में निवेश की ऐसी राशि जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।)

(iii) "ग्रामोद्योग" का तात्पर्य ऐसा सामान्य व्यवसाय जिसे की राज्य की ग्रामीण आबादी के किसी वर्ग द्वारा किया जाता हो।

(2) इस धारा की शर्तें पूरी हो गई हैं, इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर सवाल नहीं लगाया जाएगा।

5. सहायता प्रदान करने की विधियां.- राज्य सरकार या कोई प्राधिकृत अधिकारी, प्रधिकारी या व्यक्ति, ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे तरीके से जो निर्धारित किये जायें:-

(क) ऋण अनुदान द्वारा।

---

[2] राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण पार्ट iv-A दिनांक 01.05.1969 द्वारा राजस्थान अधिनियम संख्या 10 की धारा 3 के द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) किसी बैंक के साथ नकद क्रेडिट, ओवर ड्राफ्ट या निश्चित अग्रिम की गारंटी देकर, या कोई अन्य क्रेडिट सुविधा प्रदान करके,

(ग) अनुसंधान करने के लिए सामग्री, उपकरणों या मशीनरी की खरीद के लिए सब्सिडी का भुगतान करके,

(घ) शेयरों या डिवेंचर के लिए हामीदारी या सदस्यता द्वारा,

(ङ) किसी कंपनी की पूंजी पर न्यूनतम रिटर्न की गारंटी देकर,

(च) रियायती दरों पर कच्चे माल, जलाऊ लकड़ी या पानी की आपूर्ति प्रदान करके,

(छ) किराया खरीद प्रणाली पर उपकरणों और मशीनरी की आपूर्ति द्वारा या ऐसी खरीद की गारंटी देकर,

(ज) राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्रोत से रियायती दरों पर विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करके, किसी उद्योग द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए देय दर पर छूट देकर, या आपूर्ति के लिए राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को सब्सिडी प्रदान करके किसी भी उद्योग को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर या अंतर्निर्मित बिजली घर प्रदान करके बिजली की आपूर्ति,

(झ) किसी उद्योग को शुरू करने या सलाह देने के लिए राज्य सरकार की सेवा में अधिकारियों और विशेषज्ञों की सेवाएं निःशुल्क या अनुकूल शर्तों पर प्रदान करके,

(ञ) औद्योगिक संपदा की स्थापना का कार्य करके,

(ट) राज्य या स्थानीय करों और कर्तव्यों में रियायतें या छूट देकर, जहां संबंधित कानून ऐसी रियायतों

या छूटों को अधिकृत करता है,

(ठ) सामान्य सुविधा केंद्र या क्लस्टर-प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र चलाकर या औद्योगिक या तकनीकी संस्थान प्रदान करके जो उद्योग के विकास के लिए फायदेमंद हो सकते हैं,

(ड) एम्पोरिया या अन्य प्रदर्शन केंद्र खोलकर या उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करके,

(ण) किसी उद्योग के उत्पादों की खरीद में प्राथमिकता देकर,

(त) औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण सुविधा प्रदान करके,

[3]((तक) एसोसिएशन/उद्योग महासंघ को सब्सिडी अनुदान द्वारा,

---

[3] राजस्थान राजपत्र, असाधारण पार्ट iv-A दिनांक 01.05.1969 द्वारा राजस्थान अधिनियम संख्या 10 की धारा 4 के द्वारा जोडा गया।

(तख) औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा लगाए गए प्रबंधकीय टेकनिकल कर्मचारियों पर सब्सिडी के अनुदान द्वारा,

(तग) ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्कशेड के निर्माण पर सब्सिडी देकर,

(तघ) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा नए उपकरणों और उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी अनुदान द्वारा,

(तड) कच्चे माल की खरीद या तैयार उत्पादों की बिक्री पर सब्सिडी देकर,

(तच) भारत के बाहर तैयार उत्पादों के निर्यात पर सब्सिडी देकर,

(तछ) कारीगरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण प्रदान करके, और)

(भ) किसी अन्य रूप में कोई सहायता प्रदान करके, जो राज्य सरकार की राय में, राज्य में उद्योगों के प्रचार या विकास के लिए अनुकूल हो सकती है

6. निरीक्षण की शक्ति.- (1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी अधिकारी, आदेश द्वारा, उस उद्योग के प्रभारी व्यक्ति से ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सहायता दी गई हो कि ऐसी पुस्तकों या खातों और अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए ऐसे समय और स्थान पर प्रस्तुत करें जैसा की आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो तथा ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश की अनुपालना करेगा।

(2) राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी प्रस्तुत किये गये खातो या दस्तावेजो का निरीक्षण कर सकता था उनसे उद्धरण ले सकता है।

(3) राज्य सरकार या निरीक्षण करने वाले अधिकारी या उसके अधीन काम करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे उद्योग के मामलो से संबंधित किसी भी जानकारी को विधिक रूप से अनाधिकृत व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करेगा या संप्रेषित करने की अनुमति देगा।

(4) [4]यदि कोई व्यक्ति- (क) उप-धारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश का, पालन करने में, पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है; या

(ख) उप-धारा (3) के उल्लंघन में कोई सूचना जानबूझकर प्रकट करता है या प्रकट किया जाना अनुज्ञात करता है, तो वह धनीय शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रूपये तक की हो सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये: परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना अधिरोपित नहीं की जायेगी।

---

[4] राजस्थान जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश, 2025 की दिनांक 12 दिसंबर, 2025 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित।

7. फीस.- राज्य सरकार किसी भी आवेदन, पूछताछ, निरीक्षण और लेखापरीक्षा के संबंध में किसी उद्योग से ऐसी फीस ले सकती है जो निर्धारित की जाए।

8. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकती है, ताकि इसके प्रावधानों को आम तौर पर लागू किया जा सके।

(2) इस अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम, उनके बनने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। राज्य विधानमंडल ऐसे किसी भी नियम में कोई संशोधन करता है या संकल्प करता है ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नियम केवल संशोधित रूप में प्रभावी होगा।

[5]9. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न की उनके अल्पीकरण में।

---

[5] राजस्थान अधिनियम संख्या 10, 1969 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित, जो राजस्थान राजपत्र, भाग IV-A, असाधारण, दिनांक 1-5-1969 में प्रकाशित हुआ।